

पंचा डिक्री
लय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

104/2025

श्री सैनी पुत्र गुलवन्त सिंह जाति सैनी निवासी तलवाडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 13/5/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक न० 1 टि.एल.डबल्यू ए जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता सं० 150/50 के संयुक्त खाता कि कम स. 2 व चक न. 1 टि.एल.डबल्यू बी के खाता स. 131/89 के संयुक्त खाता कि क. स. 2 व इसी चक के खाता स. 132/83 के संयुक्त खाता कि क.स. 4 व चक 3 टि.एल. डबल्यू के खाता स. 282/39 के संयुक्त खाता कि क.स. 9 व इसी चक के खाता स. 96/37 के संयुक्त खाता कि क.स. 8 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनप्रीत सिंह पुत्र गुलवन्त सिंह की जगह मनप्रीत सैनी पुत्र गुलवन्त सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पंचा डिक्री आज दिनांक 13/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर
टिब्बी।